न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2017

अपीलांट

1. हरचंदराम पुत्र पारसिया
2. नोपाराम पुत्र पारसिंया
3. अमराराम पुत्र पारसिया
4. जामताराम पुत्र पारसिया
5. लहरी देवी पत्नी स्व. पारसिया
6. गीता देवी पुत्री पारसिया, तमाम जातियान मेघवंशी साकियान सेरना, तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती कमला कंवर पत्नी मांगसिंह जाति राजपूत, निवासी सेरना, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री सतपाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री अभिनव सुथार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.05.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2014 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 985, 986, 987 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 761 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 985, 986, 987 की भूमि में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 761 के करीब गेवल रोड

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

एवं अपीलांट की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का व सुविधा की दृष्टि से उपर्युक्त रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को जानकारी होने के बाद करीबन दिनांक 24.08.2012 से दिनांक 05.09.2016 तक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। इस अवधि में में अपीलांट द्वारा मांगे गये रास्ते को जेसीबी से धीरे धीरे खुदाई करके अपीलांट की खातेदारी भूमि तक खाई खोद दी। जिससे तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु जो मौका रिर्पोट रास्ते हेतु मंगवाई जावे तो उसमें मौके पर खाई प्रतीत होगी। जिससे अपीलांट को रास्ता दिया जाना प्रतीत नहीं होगा। किन्तु अपीलांट द्वारा जो रास्ते की मांग की गई है उस जगह यदि मौके पर 18–20 फीट खाई है तो भी अपीलांट उसको अपने स्तर पर स्वंय के खर्चे से भरकर अपने उपयोग व उपभोग हेतु रास्ता मौके पर बना सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रावधान हे कि यदि कोई काश्तकार अपने खेत में यदि कोई रास्ता आने जाने हेतु चाहता है तो उसको मुख्य रास्ते के निकटतम खातेदार की भूमि में से डीएलसी के आधार पर भूमि का मुआवजा लेकर रास्ता दिया जाना आवश्यक है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों का ध्यान न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीाकर की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 985, 986, 987 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 761 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलांटगण की आराजी पर आने जाने का कदीमी रास्ता मौके पर चल रहा है जो खसरा नंबर 984 व 988 में से चलता है। एंव आज भी खुला हुआ हे। किन्तु अपीलांट द्वारा अदालत को गुमराह करने हेतु अपने नक्शे में उक्त रास्ते का नही दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट की जिस आराजी से रास्ता मांगा है उक्त उक्त आराजी सडक लेवल से काफी नीचे है सडक की तरफ करीबन 20–25 फीट गहराई में है। उक्त खेत तालाबनुमा बना हुआ है। जहां से रास्ता दिया जाना कतई संभव नही है। अधीनस्थ न्ययालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओ का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 985, 986, 987 में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 761 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादग्रस्त आराजी के संबध में भिन्न–भिन्न रिर्पोट प्राप्त हुई है। जिससे वादग्रस्त आराजी पर सही स्थिति का ज्ञान हो पाना असंभव प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रावधान हे कि यदि कोई काश्तकार अपने खेत में यदि कोई रास्ता आने जाने हेतु चाहता है तो उसको मुख्य रास्ते के निकटतम खातेदार की भूमि में से डीएलसी के आधार पर भूमि का मुआवजा लेकर रास्ता दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया हैं जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर जसवंतपुरा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2014 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2017 को अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली